बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

का0आ0सं0–11 / विविध–06–31 / 2015– पटना, दिनांक–

<u>आदेश</u>

मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, बाल्मीकिनगर परिक्षेत्राधीन लालबकैया नदी के बाँया तटबंध, दोआब तटबंध, बैरगनिया रिंग बाँध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य से संबंधित निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 01 / 2015–16 में संवेदक श्रीमती मालती सिंह, ग्राम+पो0 –जोगियारा, जिला– दरभंगा द्वारा वर्ष 2014–15 में बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर के अंतर्गत कराये गये मिट्टी कार्य की मात्रा 138105.72 घनमीटर की जगह 247511.50 घनमीटर अपलोड कर विभाग को गुमराह करने तथा निविदा अपलोड किए जाने के समय टूल्स एंव प्लांट के संबंध में दिये गये शपथ पत्र एवं Clarification & Modification के समय दिये गये शपथ–पत्र में भिन्नता के कारण संवेदक को दोषी मानते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11 (क)(vii) में वर्णित प्रावधानों के तहत उनसे विभागीय पत्रांक–543 दिनांक–27.06.2016 द्वारा कारण–पृच्छा किया गया तथा विभागीय पत्रांक–1069 दिनांक–18.02.16 एवं पत्रांक–2115 दिनांक–08.04.16 द्वारा उन्हें स्मारित किया गया ।

इसके प्रत्युत्तर में संवेदक द्वारा अपना कारण–पृच्छा का जबाब देते हुए कहा गया कि इनके द्वारा कोई गलत प्रमाण–पत्र नहीं समर्पित किया गया है । साथ ही यह भी कहा गया कि मुख्य अभियंता, मोतिहारी द्वारा बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर से निर्गत पत्र की जाँच करा ली गयी है । Clarification & Modification के संदर्भ में मुख्य अभियंता, मोतिहारी को दिनांक–01.09.2015 को स्पष्ट कर दिया गया है ।

संवेदक से प्राप्त कारण–पृच्छा एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की समीक्षा की गई । समीक्षोपरांत पाया गया कि–

(i) कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर के पत्रांक–479 दिनांक–12.06.14 द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र में मिट्टी कार्य 138359.00 घनमीटर है तथा दूसरा अनुभव प्रमाण पत्र भी पत्रांक– 479 दिनांक–12.06.14 द्वारा ही निर्गत है जिसमें मिट्टी कार्य की मात्रा 247511.50 घनमीटर है । इसका उपयोग संवेदक द्वारा किया गया है ।

(ii) निविदा अपलोड के समय Key Plants and equipments के संबंध में संवेदक द्वारा दिया गया शपथ पत्र में किसी भी टूल प्लांट की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था । साथ ही भाड़े पर देने वाले व्यक्तियों द्वारा भी शपथ पत्र में कोई संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है । मात्र मांगीलाल द्वारा कुछ मशीनों की संख्या का उल्लेख है । परन्तु Modification and Clarification के समय संवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में भिन्नता पायी गई ।

अतः निविदा के साथ Key Plants and equipments के संबंध में शपथ पत्र तथा Clarification & Modification कि समय दिये गये शपथ पत्र में भिन्नता संबंधी आरोपों को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के नियम–11(क) (vii) में प्रमाणित मानते हुए संवेदक श्रीमती मालती सिंह, ग्राम+पो0–जोगियारा जिला–दरभंगा के निबंधन संख्या–32 / 2013 (प्रथम श्रेणी) को विभागीय ज्ञापांक–909 दिनांक–17.12.2015 एवं संशोधित आदेश संख्या–201 दिनांक–14.03.16 के आलोक में दस (10) वर्षो के लिए काली सूची में डाला जाता है ।

ह0 / –
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)

कृ0पृ0उ0–2

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/05-16/Sec-11

निबंधित

ज्ञापांक– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– श्रीमती मालती सिंह, ग्राम+पो0– जोगियारा, जिला– दरभंगा, पिनकोड– 847303 को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)

ज्ञापांक– 3007 पटना, दिनांक– 1.6.2016

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, पटना/अधीक्षण अभियंता यो0 एंव मो0–2/3/4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एंव सामग्री प्रबंधन/आई0टी0 मैनेजर, जल संसाधन विभाग, पटना को बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख (द0)

TSC-1/ON DESKTOP/TSP/05-16/Sec-11